



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON BILATERAL COOPERATION

BETWEEN:

**DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, GOVERNMENT OF INDIA (DPIIT)**

AND

THE EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE(EUIPO)

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India (hereinafter referred to as "DPIIT")

and

The European Union Intellectual Property Office (hereinafter referred to as "EUIPO") hereinafter jointly referred to as "the Participants" and individually "the Participant";

WHEREAS:

(1) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is the nodal department under Government of India for management and administration of Intellectual Property Rights (IPRs) viz. Patents, Trademarks, Designs, Geographical Indications and Copyrights;

(2) EUIPO is the European Union Intellectual Property Office responsible for managing the EU Trade Marks and the Registered Community Designs. It also works with the IP

offices of the EU Member States and international partners to offer a similar registration experience for trade marks and designs across Europe and the world.

DESIRING to reconfirm their cooperative partnership to promote economic and technological exchange;

RECOGNISING the need to expand and strengthen their national Intellectual Property (IP) systems by working together to promote innovation, creativity, technological advancement, exchange of best practices and fostering IP awareness for mutual advantage;

CONSCIOUS of the importance of improving the quality and efficiency of procedures for trade marks, designs and fostering IP awareness;

Have reached the following understanding:

I. Objective

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to establish a wide ranging and flexible mechanism for developing and furthering cooperation activities between the Participants in the field of IP and information technology services related to this field.

II. Areas of Cooperation

(1) Without prejudice to the cooperation undertaken in the context of any future similar project, the Participants will undertake bilateral cooperation activities related to trade marks and designs.

(2) Cooperation between the Participants under this MoU shall include, but not limited to:

- a. Exchange and dissemination of best practices, experiences and knowledge on IP awareness among public, businesses and educational institutions in each Participant's jurisdictional area including with the industry, universities, R&D organizations and Small and Medium Enterprises (SMEs) through participation in programs and events in the matter, organized singly or jointly by the Participants;
- b. Collaboration in training programs, exchange of experts, technical exchanges and outreach activities as may be specified in the biennial Work Plan agreed between the Participants at a later date;
- c. Exchange of information and best practices on processes for disposal of applications for trade marks and designs, as also the protection, enforcement and use of IP rights;
- d. Cooperation in the development of automation and implementation of modernization projects, new documentation and information systems in IP, such as search and classification tools and procedures for management of IP;
- e. Other cooperation activities as may be decided by the Participants with mutual understanding.

(3) The operation of this MoU does not obligate the Participants to develop projects in all of the areas and follows modalities of cooperation contemplated in this Paragraph.

III. Competence

(1) The Participants will execute the cooperation activities in full compliance with their respective applicable laws and multilateral treaties to which the Participants are party to.

(2) The conclusion of this MoU does not prevent the establishment of joint projects under the existing or future programs.

(3) Any activity conducted under this MoU is subject to its prior inclusion in the Participants' respective Work Plan and to the budgetary capacity of the two Participants. The Participants undertake to implement any such activity in full observance of their respective rules and practices.

(4) Fostering and strengthening international cooperation in the field of IP rights with IP offices of non-EU countries is a key element of EUIPO's policy in the sphere of international cooperation, as agreed in the Strategic Plan 2020 and 2025 adopted by its Management Board and in compliance with Article 151(2) EUTMR, in conjunction with Articles 2(1)(h) and 2(2)(m) Regulation No 386/2012 in the area of enforcement of IPR rights beyond the trade mark and design area, and Directive 2012/28/EU in the area of orphan works.

IV. Work Plans

(1) The Participants agree to set up a Joint Coordination Committee to draw up biennial Work Plans that will set out the specific aspects of their collaboration according to Section II of this MoU.

(2) Each Work Plan will include forecast concerning the performance of the cooperation activities including specifications on the scope, management, assignment of resources, exchange of human resources, time schedule and any other information deemed necessary by the Participants.

V. Monitoring Mechanism

The Participants will make their best effort to meet as often as they agree, in accordance with the requirements, in order to evaluate matters derived from the implementation of this MoU.

VI. Funding

(1) The MoU does not involve the transfer of financial resources between the Participants. The Participants will finance the cooperation activities with the resources assigned in their respective budgets, subject to their availability, budgetary appraisal and the provisions of their national legislation.

(2) The Participants agree that all expenses arising from cooperation activities under this MoU will be funded as mutually agreed between the Participants, except when alternative funding mechanisms are available for specific activities, as deemed appropriate by the Participants.

(3) In the specific case of the exchange of personnel, the Participants will establish in writing terms and conditions that will be applicable to this activity, compatible with their respective statutory frameworks.

VII. Information Sharing and Publications

(1) The Participants will freely exchange information within the framework of this MoU, with the exception of such cases where the national legislation or the Participant providing such information, has set restrictions on its use or disclosure.

(2) In case the information shared by a Participant is flagged as confidential, the other Participant shall be informed about such nature of the information in writing. In the absence of any such communication, Participants shall not be bound to treat the information shared under this MoU as confidential.

(3) Under no circumstances, confidential information will be transferred by either Participant to a third Participant, without prior written consent of the other Participant.

(4) The information resulting from the implementation of the Work Plan will be published or divulged to third Participants, only with prior written consent by the other Participant.

(5) Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the Participants pursuant to this MoU will be jointly owned. The use of the name, logo and/or official emblem of the participants on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the Participants. It may however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

VIII. Legislation and International Agreements

This MoU between the Participants will be subject to all applicable laws and regulations in their respective countries. This MoU does not affect the rights and obligations of the Participants under other agreements or MoUs in which they are involved. This MoU does not create any legally binding obligations or corresponding rights upon the Participants under the domestic law of the Participants or international law.

IX. Dispute Settlement

Any dispute which may arise in connection with the implementation, interpretation or application of this MoU will be settled amicably between the Participants through mutual consultations.

X. Exchange of Personnel

(1) The personnel assigned by either Participant will remain under the direction and authority of the Institution to which they belong, and therefore no employment relationship will be created with the other Participant, who, under no circumstances whatsoever, will be considered to be a substitute employer. Participants undertake to duly inform their assigned personnel of the following:

- a. assignment does not imply a substitution of employer;
- b. the assigned personnel shall abide to the rules and codes in use at the Institutions to which they are assigned, in particular with regards to the applicable provisions of the staff regulations;
- c. terms of the assignment, in particular tasks and activities, as agreed by the Participants.

(2) The Participants will facilitate movement and stay in their respective countries, of the assigned personnel who are officially involved in cooperation projects under this MoU. The facilitation is in terms of assistance through competent authorities, but shall not entail any expenditure on behalf of the hosting Participant, unless agreed to specifically for any particular activity.

(3) The assigned personnel will be subject to applicable immigration, customs tax, health-sanitary and national security provisions in force in the country of the hosting Participant and will not be able to participate in any other activity that does not correspond to their functions. The assigned personnel will leave the host country in accordance with its laws and regulations.

XI. Final Provisions

(1) This MoU will come into effect on the date of its signature by both Participants and will remain in effect for a period of four (4) years. After the said initial period, the MoU may be extended for further periods of four years each, subject to a review by the Parties of the cooperation activities under the MoU and the results thereof.

(2) The MoU may be amended by the joint decision of the Participants, formalized by an exchange of written communications, specifying the date of its entry into force.

(3) Either Participant shall communicate with the other, with at least ninety (90) days' notice, of its decision to end its participation in this MoU.

(4) The early termination of the MoU will not affect the completion of any cooperative measures that were decided under the Work Plan whilst the cooperation was going on.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto have signed this Memorandum of Understanding on 11 May 2022 in New Delhi, India, and Alicante, Spain in four originals copies in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Department for
Promotion of Industry and
Internal Trade**



**Shruti Singh
Joint Secretary**

**For the European Union
Intellectual Property Office**



**Christian Archambeau
Executive Director**

**उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(डीपीआईआईटी)**

तथा

यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ)

के बीच

द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(इसके बाद इसे "डीपीआईआईटी" कहा गया है)

और

यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (इसके बाद इसे "ईयूआईपीओ" कहा गया है) जिन्हें इसमें
इसके बाद संयुक्त रूप से "भागीदारों", औरव्यक्तिगत रूप से "भागीदार" कहा जाएगा;

जबकि:

(1) डीपीआईआईटी भारत सरकार, कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अंतर्गत नोडल विभाग है
जो पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक और कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा
अधिकारों (आईपीआर) का प्रबंधन और प्रशासन करता है;

(2) ईयूआईपीओ ईयू व्यापार चिह्न और पंजीकृत सामुदायिक डिजाइन के प्रबंधन के लिए
जिम्मेदार है। यह पूरे यूरोप और विश्व में व्यापार चिह्न और डिजाइन हेतु एक समान पंजीकरण

अनुभव प्रदान करने के लिए ईयू सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के आईपी कार्यालयों के साथ मिलकर भी कार्य करता है।

आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक भागीदारी की पुनःपुष्टि की आकांक्षा करते हुए;

परस्पर लाभ के लिए नवप्रयोग, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकीय उन्नति, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करके राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणालियों के विस्तार और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

व्यापार चिह्न, डिजाइन के लिए प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने और आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए;

निम्नलिखित समझौते पर पहुँचे हैं:

I. उद्देश्य

इस समझौता जापन (इसके बाद इसे "एमओयू" कहा गया है) का उद्देश्य आईपी और इस क्षेत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में भागीदार के बीच सहयोगकार्यकलापों को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक और लचीले तंत्र की स्थापना करना है।

II. सहयोग के क्षेत्र

(1) इसी प्रकार की किसी भावी परियोजना के संदर्भ में किए गए सहयोग के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, भागीदार द्वारा व्यापार चिह्न और डिजाइन से संबंधित द्विपक्षीय सहयोग गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

(2) इस एमओयू के अंतर्गत भागीदार के बीच सहयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे, किंतु इन बातों तक सीमित नहीं होंगे:

क) भागीदारद्वारा इस संबंध में एकल या संयुक्त रूप से आयोजितकार्यक्रमों और आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से उद्योग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) सहित प्रत्येक भागीदार के क्षेत्राधिकार में आमजनता, व्यवसायों और शैक्षिक संस्थानों के बीच आईपी जागरूकता के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान का आदान-प्रदान और प्रचार-प्रसार;

ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञ सेवाओं का आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और आउटरीच गतिविधियों में सहयोग, जैसा कि बाद में, भागीदार के बीच द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय विनिर्दिष्ट किया जाए;

ग) व्यापार चिह्न और डिजाइन, साथ ही आईपी अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और उपयोग हेतु आवेदनों के निपटानके लिए प्रक्रियाओं संबंधी सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;

घ) आईपी के संबंध में ऑटोमेशन के विकास और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन, नए दस्तावेजीकरण और सूचना प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग जैसे कि आईपी प्रबंधन हेतु खोज, वर्गीकरण साधन और प्रक्रियाएं;

ड) अन्य सहयोग कार्यक्रमलाप जिनपर भागीदार द्वारा आपसी समझ के साथ निर्णय लिया गया हो।

(3) इस एमओयू का प्रचालन, इस पैरामें दिए गए सभी क्षेत्रों में परियोजनाओं को विकसित करने औरसहयोग की पद्धतियों केलिए भागीदार को बाध्य नहीं करता है।

III. दक्षता

- (1) भागीदार अपने संबंधित लागू कानूनों और बहुपक्षीय संधियों जिसका कि भागीदार एक हिस्सा है, का पूर्ण अनुपालन करते हुए सहयोग कार्यकलापों को निष्पादित करेंगे।
- (2) इस एमओयू के निष्कर्ष, मौजूदा या भावी कार्यक्रमों के अंतर्गत संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना पर रोक नहीं लगाते हैं।
- (3) इस एमओयू के अंतर्गत कोई भी गतिविधि भागीदार के संबंधित कार्य योजना और दोनों भागीदार की बजटीय क्षमता में पहले से शामिल किए जाने के अध्यक्षीन है। भागीदार अपने संबंधित नियमों और पद्धतियों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए ऐसी किसी गतिविधि का कार्यान्वयन करते हैं।
- (4) गैर-ईयू देशों के आईपी कार्यालयों के साथ आईपी अधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में ईयूआईपीओ की नीति का प्रमुख घटक है, जिसके संबंध में इसके प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाए गए कार्यनीतिक योजना 2020 और 2025 में सहमति जताई गई थी और जो व्यापार चिह्न और डिजाइन क्षेत्र के अलावा आईपीआर अधिकारों के प्रवर्तन के क्षेत्र में अनुच्छेद 2(1)(एच) और 2(2)(एम) विनियम संख्या 386/2012 के साथ अनुच्छेद 151(2)ईयूटीएमआर और ऑफन वर्क के क्षेत्र में निर्देश 2012/28/ईयू के अनुरूप है।

IV. कार्य योजना

(1) भागीदार द्विवार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन करने के लिए सहमत हैं जो इस एमओयू की धारा-11के अनुसार उनके सहयोग के विशिष्ट पहलुओं को निर्धारित करेगी।

(2) प्रत्येक कार्य योजना में सहयोग कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन के बारे में पूर्वानुमान शामिल होंगे, जिसमें कार्यक्षेत्र, प्रबंधन, संसाधन सौंपने, मानव संसाधनों का आदान-प्रदान, समय अनुसूची और भागीदार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी जानकारी शामिल है।

V. निगरानी तंत्र

भागीदार, इस एमओयू के कार्यान्वयन से प्राप्त मामलों का मूल्यांकन करने के लिए, आवश्यकताओं के अनुसार, परस्पर रूप से जितनी बार सहमत हों, उतनी बार बैठक करने का भरसक प्रयास करेंगे।

VI. वित्तपोषण

(1) इस एमओयू में भागीदार के बीच वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण शामिल नहीं है। भागीदार अपने संबंधित बजट में निर्दिष्ट संसाधनों, उनकी उपलब्धता, बजटीय मूल्यांकन और उनके राष्ट्रीय विधान के प्रावधानों के अधीन, सहयोग कार्यक्रमों का वित्त पोषण करेंगे।

(2) भागीदार इस बात से सहमत हैं कि इस एमओयू के तहत सहयोग कार्यक्रमों पर होने वाले सभी व्यय को, भागीदार के बीच परस्पर सहमति के अनुरूप वित्त पोषित किया जाएगा, सिवाय

ऐसे मामलों के जब विशिष्ट कार्यकलापों के लिए वैकल्पिक निधीयन तंत्र उपलब्ध हो, जैसा कि भागीदार द्वारा उचित माना गया हो।

(3) कार्मिकों के आदान-प्रदान के विशिष्ट मामले में, भागीदार को अपने संबंधित सांविधिक फ्रेमवर्क के अनुरूप, इस कार्यकलाप में लागू होने वाली शर्तों को, लिखित रूप में, निर्धारित करना होगा।

VII. जानकारी साझा करना और प्रकाशन

(1) इस एमओयू के फ्रेमवर्क के भीतर भागीदार ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां राष्ट्रीय कानून या ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष ने इसके उपयोग या प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया हो, स्वतंत्र रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

(2) यदि एक भागीदार द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय समझी गई है, तो दूसरे भागीदार को लिखित रूप में ऐसी जानकारी की प्रकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। इस तरह की किसी भी सूचना के अभाव में, भागीदार इस एमओयू के तहत साझा की गई जानकारी को गोपनीय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(3) किसी भी परिस्थिति में, दूसरे पक्ष की लिखित पूर्व-सहमति के बिना, गोपनीय जानकारी को किसी भी पक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(4) कार्य योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उपलब्ध जानकारी, दूसरे पक्ष द्वारा लिखित सहमति देने पर ही प्रकाशित या तीसरे पक्ष को प्रकट की जाएगी।

(5) इस एमओयू के अनुसरण में भागीदार द्वारा किए गए संयुक्त कार्य के परिणामस्वरूप किसी प्रकाशन, दस्तावेज और/अथवा कागजात के वे संयुक्त रूप से स्वामी होंगे। किसी

प्रकाशन,दस्तावेज और/अथवा कागजात के संबंध में भागीदार के नाम, लोगो और/अथवा आधिकारिक चिह्न के लिए दोनों भागीदार से पूर्व-अनुमति की आवश्यकता होगी। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि आधिकारिक चिह्न और लोगो का दुरुपयोग न हो।

VIII. विधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौते

भागीदारों के बीच यह एमओयू संबंधित देशों के सभी लागू कानूनों और विनियमों के अध्यक्षीन होगा। इस एमओयू से अन्य समझौतों अथवा एमओयू के अंतर्गत भागीदार के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें ये भागीदार पहले से ही शामिल हैं। यह एमओयू भागीदार के घरेलू कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भागीदार पर किसी विधिक रूप से बाध्यकारी अथवा संबंधित अधिकारों का सृजन नहीं करता है।

IX. विवाद का निपटान

इस एमओयू के कार्यान्वयन, व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उठने वाले किसी विवाद का निपटान भागीदार के बीच परस्पर परामर्शसे सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

X. कार्मिकों का आदान-प्रदान

(1) किसी भी भागीदार द्वारा नियुक्त कार्मिक उस संस्थान के निर्देशन और प्राधिकार के अधीन बने रहेंगे, जिससे वे संबंधित हैं और इसलिए दूसरे भागीदार के साथ कोई रोजगार संबंध सृजित नहीं किया जाएगा, जिसे, किसी भी परिस्थिति में चाहे वे जैसी भी हों, कि उस पर एक प्रतिस्थापन नियोक्ता के रूप में विचार किया जाए। भागीदार अपने द्वारा नियुक्त कार्मिक को निम्नलिखित के संबंध में पहले से सूचित करेंगे:

क. कार्य सौंपने का अर्थ नियोक्ता का प्रतिस्थापन नहीं है;

- ख. नियुक्त कार्मिक उस संस्थान के उपयोग में आने वाले नियम और संहिता का पालन करेंगे जिससे वे संबद्ध हैं, विशेषरूप से कार्मिक विनियम के लागू प्रावधानों के संबंध में;
- ग. कार्य की शर्तें, विशेषरूप से कार्य और गतिविधियों के संबंध में, भागीदार की सहमति के अनुरूप होंगी।

(2) भागीदार, इस एमओयू के तहत आधिकारिक तौर पर सहयोग परियोजनाओं में शामिल होने वाले कार्मिकों को अपने संबंधित देशों में आवागमन और ठहरने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह सुविधा, सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से सहायता के रूप में होगी, लेकिन किसी विशेष गतिविधि के लिए विशेष रूप से सहमत होने के मामले को छोड़कर, मेजबान देश के प्रतिभागियों की ओर से कोई व्यय नहीं करेगा।

(3) नियुक्त कार्मिक मेजबान देश में लागू अप्रवासन, सीमा शुल्क, कर, स्वास्थ्य-स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के अध्यक्षीन होंगे और ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि में भाग नहीं लेंगे जो उनके कार्य से संबंधित न हो। कार्य कर रहे कार्मिक मेजबान देश के कानून और विनियमों के अनुरूप ही देश छोड़ेंगे।

XI. अन्तिम प्रावधान

(1) यह एमओयू दोनों भागीदारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और चार (04) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उक्त आरंभिक अवधि के पश्चात, इस एमओयू के अंतर्गत सहयोगपूर्ण गतिविधियों की भागीदार द्वारा समीक्षा करने और उसके परिणामों के अध्यक्षीन, यह एमओयू स्वतः ही अगले प्रत्येक चार वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

(2) यह एमओयू लिखित संप्रेषण के आदान-प्रदान द्वारा औपचारिक रूप से, उसके लागू होने की तारीख निर्दिष्ट करते हुए, भागीदार के साझानिर्णय द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

(3) कोई भी पक्ष कम से कम नब्बे (90) दिनों की सूचना के साथ, इस एमओयू में अपनी भागीदारी को समाप्त करने के अपने निर्णय के संबंध में, दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

(4) इस एमओयू के तहत इस सहयोग को समय से पहले समाप्त किया जाना, सहयोग के दौरान निश्चित कार्य योजना के तहत तय किए गए किसी भी सहयोग कार्य के पूरे किए जाने को प्रभावित नहीं करेगा।


विधिवत अधिकृत किए गए अधोहस्ताक्षरी, जिनके साक्ष्य में, इस एमओयू पर दिनांक 11 मई, 2022 को नई दिल्ली, भारत और एलीकांटे, स्पेन में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में चार मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, और दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठ की व्याख्या में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा प्रामाणिक होगी।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
की ओर से



श्रुति सिंह
संयुक्त सचिव

यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय की
ओर से



क्रिश्चियन आर्कमब्यू
कार्यकारी निदेशक